फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री प्रशान्त — **विपक्षी : राजस्थान राज्य**

किस्म मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम — **पत्रावली संख्या : 45/20**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 02.03.2021

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। राजपेरोकार उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार मावली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार द्वारा जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने पर कोई विशेष आपत्ति जाहिर नहीं की। उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम परसराम पिता मांगीलाल गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा जवाब प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से पुनः नाम सही कराने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत् 2077–80, ग्राम पंचायत जेवाणा द्वारा जारी प्रमाण पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स, आधार कार्ड, पेन कार्ड, कक्षा 10 की अंकतालिका, बैंक पास–बुक, स्कॉलर रजिस्टर फार्म, पासपोर्ट की प्रति प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में परसराम दर्ज हैं। जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपने समस्त दस्तावेजात में नाम प्रशान्त पिता मांगीलाल अंकित है। प्रार्थी द्वारा दौराने बहस ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र दिनांक 27.01.2021 का भी प्रस्तुत किया जिसमें भी ग्राम पंचायत द्वारा परसराम उर्फ प्रशान्त पिता मांगीलाल एक ही व्यक्ति होकर निवासी जेवाणा के निवासी होना बताया है। तहसीलदार मावली द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में परसराम एवं प्रशान्त दोनों एक ही व्यक्ति का नाम होना बताया। उक्त प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रार्थी का सही नाम प्रशान्त होना जाहिर आया हैं। राजपेरोकार द्वारा नाम संशोधन में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जात है कि मौजा जेवाणा पटवार हल्का जेवाणा की आराजी नम्बर 3247 से 3251, 3267, 3269, 3271, 3523 से 3526, 3684/3395 किता 13 रकबा 26 बीघा 4 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 3245, 3246, 3252, 3273, 3274, 3275 किता 6 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा भूमि में खातेदार परसराम पिता मांगीलाल के बजाय प्रशान्त उर्फ परसराम पिता मांगीलाल संशोधन किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।
निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.03.10 13:46:19 IST
Reason: SelfAttested

(... मनीष I.A.S.)
... कलक्टर
(SDO)मावली